

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/2016

जयपुर, दिनांक

4/5/2016

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-


क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	39/2007	श्री मुकेश कुमार पंड्या कनिष्ठ अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सांगानेर, जयपुर	5/67, गांधीनगर	30.04.2034
2	51/2007	श्री चन्दर लाल चालक ग्रेड-2 सहायक अभियंता, उपखण्ड-चतुर्थ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	5/154, गांधीनगर	31.10.2018
3	52/2007	श्री पप्पू सिंह वाहन चालक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	जी-955, गांधीनगर (नया नम्बर 5/185, गांधीनगर)	31.12.2019
4	53/2007	श्रीमती गीता कुमारी प्रसाविका राजकीय चिकित्सालय जवाहर नगर, जयपुर	5/143, गांधीनगर	30.09.2026
5	69/2011	श्री हर्ष सक्सैना कनिष्ठ लिपिक वित्त (विधि) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5-सी-22, गांधीनगर, (बहुमंजिला)	30.9.2047
6	88/2011	श्री राजवीर सिंह चारण कनिष्ठ लिपिक चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5-बी-21, गांधीनगर, (बहुमंजिला) (5/100, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.1.2052
7	21/2008	श्री मामराज सिवोदिया कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	जीएडी/5/ टी-1/152, विद्याधर नगर,	31.01.2041
8	44/2012	श्री कृष्ण कुमार कनिष्ठ लिपिक शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	जीएडी/5/ टी-1/123, विद्याधर नगर	31.12.2041

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं

- रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 5 व 6 पर अंकित आवंटियों से सामान्य सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजकुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड-चतुर्थ, जयपुर।
10. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, जवाहर नगर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-नगर खण्ड-तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
15. सम्बन्धित कर्मचारीगण। क्रम संख्या 6 पर अंकित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव